

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-निजामाबाद

अवैध असलहा व कारतूस (एक अदद पिस्टल व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर) के साथ दो नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैगेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह व उ०नि० रहीमुद्दीन मय हमराहीयान के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति फरिहा बाजार से निजामाबाद की ओर आ रहे हैं जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। इस सूचना पर प्र०नि० मय हमराह द्वारा निकट बुद्धा कालेज पुलिया के पास चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. आशीष गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता 2. आशुतोष श्रीवास्तव पुत्र संतोष कुमार श्रीवास्तव निवासीगण राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताये। मौके पर तलाशी से अभियुक्त आशीष गुप्ता उपरोक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त आशुतोष श्रीवास्तव उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु० 0अ०सं०- 127/21 व 128/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं०- 127/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०-128/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आशीष गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता साकिन राजेपुर थाना बरदह आजमगढ़।
2. आशुतोष श्रीवास्तव पुत्र संतोष कुमार श्रीवास्तव साकिन राजेपुर थाना बरदह आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोरनाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र०नि० शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. उ०नि० रहीमुद्दीन मय हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना-सरायमीरगैगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैगेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18.06.2021 को प्र०नि० सरायमीर श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 59/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आतिफ पुत्र शकील सा० राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ़ को समय करीब 06.20 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 59/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. आतिफ पुत्र शकील सा० राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 59/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 45 /2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र०नि० अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का० अर्जून प्रसाद थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. का० हितेन्द्र कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना-जहानागंज

हत्या के मामले में एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादिनी श्रीमती रेनु देवी पत्नी त्रिभुवन राम सा 0 दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि अभियुक्तगण एक राय होकर माँ बहन की गाली देते हुए लाठी , डण्डा, राड तथा चाँकू से मारने पीटने लगे मना करने पर और उग्र होकर मारने पीटने लगे जिससे मेरे पति त्रिभुवन राम के साथ-साथ दिनानाथ , भीमराम, नगीना राम पुत्र 0 गण नरायण राम निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज को काफी चोट आयी है। घायलो के इलाज हेतु पीजीआई चक्रपानपुर ले जाते समय रास्ते में मेरे पति त्रिभुवन राम की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/148/149/323/324/504/506/352/34/302 भादवि बनाम 1- फिरतू राम पुत्र सिल्लू राम 2-जियालाल पुत्र सुभम्गा राम 3- दिनेश पुत्र सेचन 4-अनीश राम पुत्र राजदेव राम 5-सुनील पुत्र जियालाल 6-नीरज पुत्र रमेश राम 7-चन्दन पुत्र समुझ 8-चैयतू पुत्र कान्ता राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैग्रेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18.06.2021 को प्र0नि0 अखिलेश कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/148/149/323/324/504/506/352/34/302/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त फिरतू राम पुत्र सिल्लू राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 5.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/ 148/ 149/ 323/ 504/ 506/ 324/ 352/ 34/302 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

फिरतू राम पुत्र सिल्लू राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

प्र0नि0 जहानागंज श्री अखिलेश कुमार मिश्रा मय हमराह हे0का0 जगदीश यादव, का0 विपीन कुमार पाण्डेय, .म0का0 शिल्पा तिवारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना-दीदारगंज

गैग्रेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैग्रेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 17/18.06.2021 को प्रभारी उ0नि0 धनराज सिंह , उ0नि0 बांक बहादुर सिंह थाना दीदारगंज मय हमराह द्वारा हत्या / गैग्रेस्टर के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मु0अ0सं0 32/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के वांछित अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज इरनागोकुलपुर नहर पुलिया पर बैठा है। इस सूचना से हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए इरनागोकुलपुर नहर पुलिया के पास पहुचा तो वहां बैठे हुआ व्यक्ति पुलिस बल को अपने पास आता देख भागना चाहा कि पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 5.30 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पुछा गया तो अपना नाम शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 142/2019 धारा 308/504/506 भा0द0वि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शिवम सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1-प्रभारी उ0नि0 धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 बांक बहादुर सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

3- का0 रामबाबू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

3- का0 अनुप कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4-महिला आरक्षी प्रिया श्रीवास्तव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

5- महिला आरक्षी शीला चौरसिया थाना दीदारगंज आजमगढ़

6- का0 मुकेश विश्वकर्मा , का0 सोनू यादव , का0 दिवाकर सिंह , का0सदानन्द सिंह

थाना- बरदह

तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दिनांक- 18.06.21 को उ0नि0 संजय सिंह राह हे0का0 योगेन्द्र यादव व रि0का0 उमेश कुमार के चौकी ठेकमा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व जांच प्रा0पत्र व मु0अ0स0 131/21 धारा 323/504/506/308 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की विवेचना में ग्राम सरायमोहन में मौजूद थे कि जरिये मुखविर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभि0गण घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 संजय सिंह मय राही कर्म0गण को उक्त के संबंध में अवगत कराते हुए मुखविर को साथ लेकर उसके बताये जाने के अनुसार अभि0गण के घर के लिए प्रस्थान किये कि अभि0गण के घर के थोड़ा सा पहले ही मुखविर खास द्वारा इशारा करके बताया गया कि साहब सामने जो लोग बैठे हैं ये वही लोग हैं और इतना बताकर मुखविर खास हट बढ गया तत्पश्चात लोग अभि0गण की तरफ बढ़े पुलिस वालो को देख कर उठ कर तीनों भागना चाहे की हिकमतअली से तीनों लोगो को करीब 10 कदम दौड़ा कर पकड़ लिया गया तथा सभी लोगो से बारी बारी उनका नाम पता पूछा गया को उन्होने अपना नाम क्रमशः 1- अवनीश राय पुत्र रामबली राय – उम्र लगभग 35 वर्ष 2- भाष्कर राय पुत्र श्री निवास राय – उम्र लगभग 38 वर्ष 3- अमरनाथ राय पुत्र खेलाडी राय – 58 वर्ष निवासीगण ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया चूकि उपरोक्त अभि0गण मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0गण है अतः ; कारण गिरफ्तारी बताकर समय 08.50 बजे गिरफ्तार कर, चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- 131/21 धारा 323/504/506/308 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- अवनीश राय पुत्र रामबली राय – उम्र लगभग 35 वर्ष
- 2- भाष्कर राय पुत्र श्री निवास राय – उम्र लगभग 38 वर्ष
- 3- अमरनाथ राय पुत्र खेलाडी राय – 58 वर्ष निवासीगण ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 संजय सिंह हे0का0 योगेन्द्र यादव व रि0का0 उमेश कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

लड़की के साथ छेड़छाड़ व आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25/03/2021 को श्रीमती सीता देवी पत्नी विजय कुमार साकिन खुरासों थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र में वादिनी की पुत्री मनीषा के साथ छेड़ छाड़ करने पर तंग आकर लोकलाज के डर से वादिनी की पुत्री द्वारा आत्म हत्या कर लेने के बाद वादिनी व वादिनी के परिवार वालो को पुलिस के पास शिकायत करने जाने से रोकते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में डाक से प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनांक घटना 12.10.2019 को समय सुबह 05.30 बजे घटनास्थल ग्राम खुरासो में उपरोक्त अभियोग बनाम 1. सलमान पुत्र सईद सा0 सतुवहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ 2. तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में दि0 18.06.21 को उ0नि0 कमला शंकर गिरी मय हमराह द्वारा खुरासो बाजार से मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा बाला में नामजद अभि0 सलमान पुत्र स्व0 सईद सा0 सतुवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को मुकदमा बाला में समय करीब 04.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया

सम्बन्धित मुकदमा –

1- मु0अ0स0 40/2021 धारा 306/506 भा0द0वि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क SC/ST एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सलमान पुत्र स्व0 सईद सा0 सतुवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कमला शंकर गिरी थाना फूलपुर आजमगढ़
2. हे0का0 कृष्ण मुरारी सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़
3. का0 राजेश कुमार यादव थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना तरवाँ

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक तरवाँ श्री स्वतंत्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र कस्बा बोगरिया में मौजूद थे कि तभी मुखबीर खास आकर बताया कि साहब मुकदमा अपराध स०- 80/2021 धारा०- 498ए/304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित नामजद मुख्य अभियुक्त प्रवीण राम उर्फ पिन्टू पुत्र राजेश राम सा० मुसवा हाल पता रासेपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ इस समय कस्बा रासेपुर तिराहे पर पान की गुंमती के आड में खड़ा है तथा बनारस जाने वाली बस का इन्तजार कर रहा है साहब बस को आने में अभी कुछ देरी है अगर जल्दी करेंगे तो वह व्यक्ति पकड़ा जा सकता है कि मुखबीर खास के बातों पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराही मय हमराहीयान मय सरकारी बोलोरो के साथ मुखबीर खास को साथ लेकर रासेपुर के लिये चल दिये जैसे ही पुलिस चौकी रासेपुर के 10 कदम आगे पहुँचे थे कि रासेपुर तिराहे पर गुमती के बगल में एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जिसकी तरफ मुखबीर खास इसारा करके गाड़ी रूकवाकर भलाई बुराई की वजह से उतर गयी तभी हम पुलिस वाले एकबारगी अचानक खड़ा व्यक्ति के पास लेजाकर गाड़ी रोके की पुलिस की गाड़ी देखकर खड़ा व्यक्ति भौचका होकर भागने का प्रयास किया की रासेपुर तिराहे पर हमराही कर्मचारी गण की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रवीण राम उर्फ पिन्टू पुत्र राजेश राम नि० मुसवा हाल पता रासेपुर थाना तरवाँ आजमगढ़ बताया जो मुकदमा मु० अ० स०- 80/21 धारा०- 498 ए /304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ में नामजद वांछित अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के समय चुकी सार्वजनिक स्थान होने के कारण जनता के काफी लोग इकट्ठा हो गये जिनसे गवाही के लिये कहने पर वह सभी व्यक्ति अपना नाम पता बताये भलाई बुराई की वजह से वहाँ से हट बठ गये गिरफ्तारी के समय मा० उच्चतम न्या० व मा० मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुये अभियुक्त कि गिरफ्तारी की सूचना देने हेतु पुलिस चौकी रासेपुर से हे० का० सुभाष चन्द्र यादव को बुलाकर हिदायत मुनासिब कर भेजा गया ।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु० अ० स०- 80/21 धारा०- 498 ए /304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. प्रवीण राम उर्फ पिन्टू पुत्र राजेश राम नि० मुसवा हाल पता रासेपुर थाना तरवाँ आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1- प्र० नि० स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़